

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

पांगकटारा से खलाड मोटर मार्ग लम्बाई -3.00 किमी०

FP/UK/Road /46607/2020

10.	क्या वन स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/ नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए हैं को संलग्न करें।	नहीं प्रस्तावित 3.00 किमी० की लम्बाई में कुल 86 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं अतः अघोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19-08-2020 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जाती है।
11.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।	हाँ सहमत
12.	विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए सम्बन्धित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 86 बॉज के वृक्षों के पातन हेतु 100 बॉज तथा 100 काफल के वृक्षों का अतिरिक्त रोपण कार्य सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक 28-8-2020
स्थान- नैनीताल

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक
दक्षिणी कुमायूँ वन प्रशासन नैनीताल।
बनोबाघ,